



महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)

कार्यालय : फोन : 07682-244442, फ़ैक्स : 07682-244442
E-mail - mchhatrasaluniversity@gmail.com

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/०७८/२०२१

छतरपुर, दिनांक 16/6/21

अधिसूचना

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 (XII) एवं 26 (1) (V) एवं धारा 35 (j) तथा परिनियम 27 के प्रावधानों के अंतर्गत महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु गठित निरीक्षण समिति से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 11.06.2021 में की गई अनुशंसाओं के आधार पर कुलपति जी द्वारा सत्र 2021-22 के लिए महाविद्यालय को निम्नानुसार पाठ्यक्रम की सशर्त प्रथम वर्ष की सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

क्रं	महाविद्यालय का नाम/संस्था का नाम	पाठ्यक्रम	सीट	रिमार्क
01	मां शारदा महाविद्यालय पन्ना रोड गठेवरा जिला छतरपुर (म०प्र०)	बी०ए०बी०एड०	100	प्रथम वर्ष की सम्बद्धता

शर्त :-

1. महाविद्यालय को परिनियम 27 एवं 28 में उल्लिखित विभिन्न प्रावधानों की पूर्ति एवं पालन करना होगा।
2. महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार इंडोमेन्ट फंड की राशि विश्वविद्यालय में जमा करने का प्रमाण 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करना होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)

छतरपुर, दिनांक 16/6/21

पृ०क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/०७८/२०२१

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव के माध्यम से आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुडा भवन, भोपाल (म०प्र०)
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग सागर, संभाग, सागर (म०प्र०)
3. प्राचार्य, शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, छतरपुर (म०प्र०)
4. प्राचार्य, मां शारदा महाविद्यालय पन्ना रोड गठेवरा जिला छतरपुर (म०प्र०)
5. कुलपति/कुलसचिव के निजी सचिव, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर (म०प्र०)
6. उपकुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय, महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर (म०प्र०)
7. वेबसाइट प्रभारी की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
8. मूल नस्ती हेतु।

कुलसचिव

महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय
छतरपुर (म.प्र.)